राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग

शिक्षा प्रकोष्ठ

चुनावी निरंतरता का स्कूली बच्चों की शिक्षा पर दुष्प्रभाव

एक रिपोर्ट व अनुशंसा

प्रियंक कानूनगो

सदस्य शिक्षा (NCPCR)

भूमिका

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 (क) तथा निशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 (आरटीई एक्ट) देश की शिक्षा की स्थिति में सुधार मजबूत आधार हैं। आरटीई एक्ट की विभिन्न धाराओं में शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित करने के विभिन्न प्रावधान हैं। इन्ही में से एक है शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा-27 जिसमें यह उल्लेखित किया गया है कि शिक्षकों को राज्य विधानसभा या लोकसभा चुनाव, जनगणना तथा आपदा राहत कार्य के अतिरिक्त किसी अन्य गैर शैक्षणिक कार्य में संलग्न नहीं किया जाएगा। बावजूद इसके, आयोग को देश के विभिन्न प्रदेशों से ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई हो रही हैं, जिनमें शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्य में लगाए जाने के कराण बच्चों की शिक्षा प्रभावित होने की बात कही जा रही है। इन शिकायतों का बारीकी से अध्ययन करने पर यह पाया गया कि ज्यादातर मामले में शिक्षकों को चुनावी ड्यूटी में लगाए जाने के कारण बच्चों की शिक्षा प्रभावित हो रही है। हालहि में जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं से प्राप्त शिकायतों में यह तक कहा गया है कि शिक्षकों की चुनावी ड्यूटी के कारण पढ़ाई शुरू ही नहीं हुई है। ऐसे मामलों की जांच के दौरान आयोग ने राज्य सरकार के उच्चस्तरीय अधिकारियों से पूछताछ की तो यह बात निकल कर आई कि आरटीई एक्ट की धारा-27 की गलत व्याख्या के कारण शिक्षकों को गैर शैक्षिणिक कार्य में लगाया जा रहा है। शिक्षकों को चुनावी ड्यूटी में लगाए जाने को प्रमुखता से लेते हुए धारा-27 के उलंघन से संबंधित अन्य मुद्दों का भी अध्ययन किया गया है।

आयोग ने उपरोक्त धारा के बेहतर और स्पष्ट क्रियान्वयन के लिए संबंधित हितधारकों के साथ एक राष्ट्र स्तरीय परामर्श बैठक का आयोजन करने का निर्णय लिया है, जिससे कि आरटीई एक्ट की धारा-27 पर स्थिति स्पष्ट की जा सके और स्कूली शिक्षा प्रभावित किए बगैर लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम

रखने के लिए सिफारिशें दी जा सकें। इस विषय पर आयोग की 34वीं वैधानिक समिति की बैठक में भी चर्चा की गई और सिफारिशों पर आम सहमति बनी है। इसके साथ ही आयोग के शिक्षा प्रकोष्ठ द्वारा इस विषय को पीएबी (PAB) वित्त वर्ष 2018-19 की अपनी एडब्ल्यूपी (AWP) के भाग के तौर पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय (MHRD) प्रस्तावित किया गया है। हालांकि, MHRD द्वारा आयोग को यह सूचित किया गया था कि NIEPA द्वारा इसी तरह की गतिविधि आयोजित की गई है और हाल ही में उनके द्वारा एक शोध पत्र प्रकाशित किया गया है।

MHRD के सुझाव के अनुसार, आयोग ने मई 2018 में NIEPA से रिपोर्ट मांगी और अन्य उपलब्ध स्रोतों से जानकारी संग्रहित कर इस विषय को गंभीरता को उजागर करने का फैसला किया। आयोग के शिक्षा प्रकोष्ठ ने इस विषय पर एक डेस्क समीक्षा अध्ययन शुरू किया। समीक्षा के आधार पर यह तथ्य उभर कर आया कि आरटीई एक्ट-2009 की धारा-27 के क्रियान्वयन में कई चुनौतियां एवं त्रुटिया हैं। अतः आयोग ने आरटीई एक्ट की धारा-27 के बेहतर कार्यान्वयन हेतु चुनौतियों एवं त्रुटियों को इंगित कर "चुनावी निरंतरता का स्कूली बच्चों की शिक्षा पर दुष्प्रभाव" के नाम से मसौदा तथा सिफारिशों का प्रारूप तैयार किया है।

1.A. परिप्रेक्ष्य

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना संसद के एक अधिनियम (दिसम्बर 2005) बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 के अंतर्गत मार्च 2007 में की गई थी। आयोग का अधिदेश यह सुनिश्चित करना है कि समस्त विधियाँ, नीतियां कार्यक्रम तथा प्रशासनिक तंत्र बाल अधिकारों के संदर्भ के अनुरूप हों, जैसाकि भारत के संविधान तथा साथ ही संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार सम्मेलन (कन्वेशन) में प्रतिपादित किया गया है। आयोग बालकों तथा उनकी कुशलता को सुनिश्चित करने के लिए राज्य के लिए एक अपरिहार्य भूमिका, सुदृढ़ संस्था-निर्माण प्रक्रियाओं, स्थानीय निकायों और समुदाय स्तर पर विकेन्द्रीकरण के लिए सम्मान तथा इस दिशा में वृहद सामाजिक चिंता की परिकल्पना करता है।

भारत में लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए चुनावी प्रक्रिया को अपनाया गया है। लोकसभा से लेकर स्थानीय निकाय सभी के अलग-अलग चुनाव होते हैं और इन चुनावों को संपन्न कराने के लिए विद्यालयी संसाधनों का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर किया जाता है। लेकिन इसपर कभी विमर्श नहीं हुआ कि स्कूली बच्चों की शिक्षा पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। बाल अधिकारों के संरक्षण की दिशा में ही आयोग द्वारा इस गंभीर विषय पर ही यह रिपोर्ट पेश की गई है, ताकि बार-बार होने वाले चुनावों से बच्चों का शिक्षा का अधिकार प्रभावित न हो। इस रिपोर्ट के जरिए यह समझाने की कोशिश की गई है कि बार-बार होने वाले चुनावों का शिक्षा पर किस प्रकार दुष्प्रभाव पड़ रहा है व उपाय के तौर पर आयोग द्वारा अनुशंसाए भी पेश की गई हैं।

1.1. भारत के संविधान में बच्चों के शिक्षा का अधिकार

संविधान का अनुच्छेद 21[1] (क) बच्चों को शिक्षा का मूल अधिकार प्रदान करता है जिसको सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू किया गया है। विद्यालय भवन और शिक्षक ही राज्य के वे संसाधन हैं जिनसे बच्चों का यह मौलिक अधिकार सुनिश्चित किया जाता है।

देश मे समय-समय पर होने वाले चुनावों से कहीं न कहीं संविधान द्वारा बच्चों को प्रदत्त शिक्षा का अधिकार नकारात्मक रूप से प्रभावित हो रहा है। उल्लेखनीय है कि लोकसभा, विधानसभा व् स्थानीय निकायों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, परन्तु कार्यकाल अलग-अलग चलने और चुनावों की आवृत्ति की वजह से देश के शैक्षणिक तंत्र को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। सर्वविदित है कि देश में चुनावी लोकतंत्र को सफल बनाने में शिक्षक और विद्यालय अहम भूमिका अदा करता है। विभिन्न चुनावों की आवृत्ति पर ध्यान दे तो विषय की गंभीरता दृष्टिगोचर होती है:

1. लोकसभा
2. विधान सभा
3. नगर पालिका
4. ग्राम पंचायत (त्रिस्तरीय)
5. कृषि उपज मंडी (APMC)
6. जल संस्थाएं (सिंचित क्षेत्रो में)

उदहारण के लिए मध्यप्रदेश में विधानसभा चुनाव नवम्बर 2013 में, लोकसभा आम चुनाव मई 2014, पंचायत चुनाव फरवरी 2015, नगर-निकाय चुनाव दिसम्बर 2014, कृषि उपज मंडी चुनाव 2012 में हुए इस प्रकार 4 वर्ष तक प्रत्येक वर्ष एक न एक चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें स्कूल और शिक्षक

[1] भारतीय संविधान

दोनों ने शिक्षण के कार्य के ऊपर निर्वाचन के दायित्व को तरजीह दी। अमूमन प्रत्येक एक से डेढ़ वर्ष में एक चुनाव संपन्न किया जाता है।

1.2 जनगणना-2011 व U-DISE-2015-16 से प्राप्त आंकड़ों[2] के अनुसार

- इस समय देश में लगभग 14.67 लाख स्कूल हैं, जिनमे 10.7 लाख सरकारी व् 3.49 लाख निजी स्कूल है। कुल **11 करोड़ बच्चे सरकारी** व् 7.43 करोड़ बच्चे निजी स्कूलों में पढ़ते हैं।
- देश में 14.36 लाख स्कूल का भवन बने हुए है। इस तंत्र को चलाने के लिए कुल 80.7लाख शिक्षक नियुक्त हैं। **जिनमे 47.3 लाख सरकारी स्कूलों के शिक्षक हैं।**
- देश में 22.5 प्रतिशत परिवार गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं 6 से 18 वर्ष के बच्चो का प्रतिशत 19.3 है। प्रति परिवार बच्चों की संख्या के आंकलन के अनुसार सरकारी स्कूलों में पढने वाले कुल बच्चो में से लगभग आधे यानि की 6 करोड़ के लगभग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के हो सकते हैं, अनुसूचित जाति, जनजाति पिछड़े परिवारों के बच्चे बड़ी संख्या में सरकारी शिक्षण तंत्र पर ही निर्भर हैं।

1.3 शिक्षकों से लिए जाने वाले चुनाव कार्य[3]

बात करें शिक्षकों की चुनावी ड्यूटी की तो इसे राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय द्वारा 2017 में **"गैर शिक्षण गतिविधियों में शिक्षकों की भागीदारी और शिक्षा पर इसका प्रभाव"** विषय पर चुनिन्दा राज्यों में किये गए शोध अध्ययन से अच्छी तरह समझा जा सकता है। शोध के अनुसार

---

[2] आंकड़ो का स्रोत
जनगणना-2011
यू-डाईस- 2015-16
एनएनएसओ

[3] राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय द्वारा 2017 में किया गया शोध

2015-16 में 15.14% शिक्षकों ने बूथ स्तर अधिकारी का दायित्व निभाया। रिपोर्ट के जरिए शोध से निकले निष्कर्ष के आधार पर शिक्षकों को बूथ स्तर अधिकारी का दायित्व दिए जाने पर सख्त आपत्ति दर्ज की गयी है

1.4 बूथ स्तर अधिकारी के रूप में शिक्षक

तकनीकी रूप से इस कर्तव्य को सीधे तौर पर निर्वाचन दायित्व से नहीं जोड़ा जाता, परन्तु शिक्षक द्वारा किया गया यह कार्य हर चुनाव के पहले मतदाता सूची प्रकाशन हेतु सबसे महत्वपूर्ण है। जितनी बार चुनाव होता है उतनी बार यह प्रक्रिया इसी रूप में दोहराई जाती है। "बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) एक स्थानीय निकाय अधिकारी है, जो स्थानीय मतदाताओं से परिचित है और उसी मतदान क्षेत्र में रहता है। बीएलओ मतदान केंद्र क्षेत्र के स्तर पर भारत के निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधि है। वह मतदान क्षेत्र की वास्तविक क्षेत्र जानकारी (जिसमें लगभग 1500-1600 मतदाता शामिल हैं) उपलब्ध कराने, एक त्रुटि मुक्त और अद्यतन चुनावी रोल बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।"

प्रत्येक चुनाव के पहले प्रकाशित होने वाली मतदाता सूची को अपडेट करने की जिम्मेदारी इसी बूथ स्तर का अधिकारी की होती है, जो हर चुनाव के पहले लगभग 90 दिन के लिए इसमें कार्यरत रहता है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा-27 शिक्षकों को गैर शिक्षकीय कार्यों में लगाये जाने से प्रतिबंधित तो करती है लेकिन इसमें लोकसभा ,विधान सभा व् स्थानीय निकाय में **निर्वाचन दायित्व** दिए जाने की छूट भी दी गयी है। जिसकी अनेकों व्याख्याओं में यह भी स्पष्ट किया जा चुका है कि यह छूट शिक्षकों को केवल मतदान व् मतगणना के कार्यो में लगाये जाने तक ही है, परन्तु इसका खुलेआम उल्लंघन होता है। **रिपोर्ट[4] के अनुसार एकल शिक्षक वाले विद्यालय के**

[4] राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय द्वारा 2017 में किया गया शोध

एकलौते शिक्षक को भी बूथ स्तर अधिकारी धड़ल्ले से बनाया जाता है जिससे सीधे तौर पर बच्चों की शिक्षा प्रभावित होती है। जबकि शिक्षा का अधिकार अधिनियम प्रत्येक शिक्षक के लिए सप्ताह में 45 शैक्षणिक घंटो[5] का प्रावधान करता है।

1.5 शिक्षकों के चुनाव दायित्व

शिक्षकों को मुख्यतः 2 प्रकार के चुनावी दायित्व दिए जाते हैः

- मतदान – इसके लिए प्रशिक्षण से ले कर मतदान संपन्न होने तक लगभग 15 से 20 दिन का समय शिक्षक से लिया जाता है।
- मतगणना – ईवीएम के उपयोग के चलते सामान्यतः कम शिक्षकों का उपयोग किया जाता है परन्तु दायित्व दिए जाने पर लगभग 15 से 20 दिन के लिए शिक्षकों को विद्यालयीन कार्यों से दूर होना पड़ता है।

रिपोर्ट[6] के अनुसार शिक्षकों का बीएलओ और चुनाव दायित्व मिलकर गैर शिक्षकीय कार्यों में दिए गये समय का 33.5 प्रतिशत समय इन दोनों कार्यों में जाता है। शिक्षकों का जो समय गैर शिक्षकीय कार्यों में जाता है उनमे जनगणना सबसे ऊपर है 1.6 प्रतिशत परन्तु यह 10 वर्ष में एक बार होने वाली प्रक्रिया है इस प्रकार प्रतिवर्ष में इसकी हिस्सेदारी केवल 0.16 प्रतिशत बनती है जबकि चुनाव दायित्व में 1.4 प्रतिशत और बूथ स्तर अधिकारी के रूप 1.3 प्रतिशत को जोड़कर देखें तो 2.7 प्रतिशत समय प्रतिवर्ष होने वाले चुनाव में शिक्षकों का जाता है चुनाव दायित्व से जुडी अनेक अतरिक्त जिम्मेदारियों में भी समय नष्ट होता है जैसे प्रशिक्षण, सामग्री लेना ,सामग्री जमा करना और इन सबसे ऊपर वो समय जो हफ्तों चुनाव ड्यूटी निरस्त करवाने के प्रयास में अफसरों के चक्कर लगाते हुए निकल जाते है, जबकि 800 घंटे प्रतिवर्ष के शैक्षणिक कालांश शिक्षा का अधिनियम द्वारा प्रदत्त बच्चो का अधिकार है।

---

[5] शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 अनुसूची

[6] राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय द्वारा 2017 में किया गया शोध

अन्य विभागों को दिए गए गैर शिक्षण गतिविधियों में शिक्षक शामिल हैं। बात करें इसके प्रभाव की तो बूथ स्तर के अधिकारी से संबंधित कर्तव्य न केवल शिक्षक के संज्ञानात्मक सीखने को प्रभावित करते हैं बल्कि छात्रों के बीच व्यवहार और प्रभावशाली शिक्षा को भी प्रभावित करते हैं। चूंकि चुनावी ड्यूटी के बीच शिक्षक स्कूल शिक्षा से दूर रहते हैं इसलिए शिक्षक के सीखाने की गुणवत्ता खराब हो जाती है और स्कूल का समग्र प्रबंधन मुश्किल हो जाता है छात्रों के सीखने का समय भी खराब हो जाता है और अध्ययन अध्यापन की प्रक्रिया टूट जाती है। जिसका दुष्प्रभाव यह होता है कि छात्रों की रूचि समाप्त हो जाती है और वे पुराने अध्ययन को भी भूलने लगते हैं।"

1.5 स्कूल भवन का अधिग्रहण

यह इस उदाहरण से अच्छी तरह समझा जा सकता है कि 2014 के आम चुनाव के लिए 928237 मतदान केंद्र[7] बनाये गए जिनमें से अधिकांश विद्यालयों में बनाये गए। इनके लिए सरकारी के साथ-साथ निजी स्कूल भी अधिग्रहित किये गए। अधिग्रहित विद्यालय में पूर्व तैयारी, सुरक्षा, निरीक्षण आदि के चलते कम से कम 10 दिन अवकाश की स्थिति रहती है जबकि शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा-19 के अंतर्गत अनुसूची[8] में 220 शैक्षणिक कार्यदिवस बच्चों का अधिकार है। लेकिन लगभग प्रतिवर्ष नष्ट होने वाले इन कार्यदिवसो की भरपाई कभी नहीं होती। निजी स्कूलों के मामले में उनके वाहनों का उल्लेख करना भी आवश्यक है जिनका अधिग्रहण मतदान दल के आवागमन के लिए सभी राज्यों में किया जाता है।

---

[7] चुनाव आयोग का डाटा

[8] शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009, अनुसूची, संख्या नंबर-3

1.6 बार-बार होने वाले चुनावों का बच्चों की शिक्षा पर दुष्प्रभाव

सीपीसीआर एक्ट[9] की धारा-13 (1) के तहत आयोग ने देशभर में अलग-अलग जगह स्कूलों का दौरा किया तथा कई कार्यशालाएं आयोजित की हैं। इसके साथ ही आयोग को इस संबंध में कई शिकायते भी प्राप्त हुई हैं कि चुनावी ड्यूटी की वजह से शिक्षक बच्चों को शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 के तहत शिक्षण नहीं दे पा रहे हैं। मध्यप्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी में लगे शिक्षकों के कारण शिक्षा प्रभावित होने की भी शिकायतें आयोग को प्राप्त हो रही हैं। समय-समय पर होने वाले चुनावों के चलते शिक्षक अपना मुल्यवान समय बच्चों के साथ व्यतीत नहीं कर पाते, जिसका दुष्प्रभाव बच्चों के विकास और उनकी शिक्षा पर पड़ता है। क्योंकि चुनावी लोततंत्र को कायम रखने में बड़े स्तर पर सरकारी शिक्षा से जुड़े संसाधनो का दोहन होता है इसलिए इसकी कीमत भी सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले अंतिम पंक्ति के बच्चों को चुकानी पड़ती है।

1.7 निष्कर्ष

देश में एक विशाल चुनावी पद्धति कार्यरत है और देश के किसी न किसी हिस्से में हमेशा चुनाव होता रहता है, जिससे शिक्षा के संसाधनों का दोहन भी लगातार होता है। इसका खामियाजा पूरी तरह देश के उन गरीब बच्चों को भुगतना पड़ रहा है जिनके अभिभावकों के पास उनके विकास के सीमित संसाधन हैं और वह राज्य के संशाधनों पर निर्भर हैं। किंतु अगर राज्य भी उनके लिए बनाए गए संसाधनों का दुरूपयोग करेगा तो देश में किस तरह से वंचित वर्ग के जीवन स्तर को सुधारा जाएगा। कहा जाता है कि ज्ञान गरीबी को मिटाने का एक उपयुक्त साधन है, लेकिन अगर किसी बच्चे को सही और उचित मात्रा में ज्ञान नहीं मिलेगा तो वह किस तरह अपना विकास कर पाएगा। इसमें कोई दोराय नहीं है कि चुनावी लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए सरकारों

[9] सीपीसीआर एक्ट-2005

के पास भी सीमित संसाधन है और वह विद्यालयी संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं। चूंकि यह दोनों ही हमारे देश के विकास का आधार हैं इसलिए एक विकल्प पर काम करने की जरूरत है जो बीच का रास्ता निकालकर दोनों का विकास सुनिश्चित कर सके। इस दिशा में **"एक देश एक चुनाव"** का विचार एक ऐसा ही विकल्प मुहैया कराता है जिसपर गहन विचार किए जाने की जरूरत है।

"एक देश एक चुनाव का विचार" का राजनैतिक, आर्थिक प्रभाव से जैसा भी हो बच्चों की शिक्षा के लिहाज़ से यह एक क्रांतिकारी कदम साबित हो सकता है। प्रतिवर्ष की जगह अगर पांच साल में उनसे उनके संसाधन लिए जायेंगे तो शैक्षणिक दृष्टी से ये 5 गुना लाभकारी होगा। सकारात्मक पक्ष देखें तो 5 गुना कम नुक्सान मतलब 5 गुना फायदा ही हुआ। हालांकि व्यवहारिक रूप से लोकसभा से ले कर पंचायत का चुनाव एक साथ करवाने की स्थिति लाने में समय तो लगेगा, परन्तु शुरुआत कहीं से तो करनी ही पड़ेगी। राजनैतिक दलों को इस बिंदु पर सोचना होगा।

उपरोक्त सभी बिंदुओं के उदाहरणों से यह तो आसानी से समझा जा सकता है कि बच्चों की शिक्षा से जुड़े संसाधनों का चुनावी लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए किया जा रहा दोहन लोकतंत्र को तो सफल बना सकता है, लेकिन इससे यह प्रश्न उठता है कि हम लोकतंत्र का भविष्य निर्धारित करने वाले बच्चों के विकास को अवरूद्ध करके कैसे लोकतंत्र को सफल बना सकते हैं।

2. आयोग की अनुशंसाए

(i) शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 27 का पालन सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक निर्देश जारी किये जाना चाहिए |

(ii) इस प्रकार के कार्य प्रणाली विकसित किया जाना चाहिए जिससे चुनाव के समय बच्चों की शिक्षा बाधित न हो |

(iii) समीक्षा में पाया गया कि बूथ लेवल ऑफिसर के रूप में शिक्षकों की ड्यूटी लगाया जाना, चुनाव से संबंधित ड्यूटी से इतर है | अत: इस संबंध में राज्यों को उचित निर्देश जारी किये जाने चाहिए |

(iv) देश में चुनावों को समकालिक कराये जाने की चर्चा में बच्चों की शिक्षा को होने वाले नुकसान के विषय को आवश्यक रूप से सम्मिलित किया जाना चाहिए, यह परिक्षण किया जाना उचित होगा कि समकालिक चुनाव का विचार बच्चों की शिक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करने की दृष्टिकोण से यदि लाभकारी है, तो इस दिशा में सहानुभूतिपूर्वक निर्णय लेना चाहिए |

संदर्भसूची

1. भारतीय संविधान
2. शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009
3. चुनाव आयोग की वेबसाईट पर उपलब्ध डाटा
4. भारतीय जनगणा-2011
5. एनएसएसओ
6. यू-डाईस
7. राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय द्वारा 2017 में **"गैर शिक्षण गतिविधियों में शिक्षकों की भागीदारी और शिक्षा पर इसका प्रभाव"** विषय पर चुनिन्दा राज्यों में किया गया शोध अध्ययन।
8. नीति आयोग की तीन वर्षीय कार्यसूची 2017-18 से 2019-20